भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2774
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम जी योजना की वित्तपोषण संरचना

2774. श्री के. ई. प्रकाश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर शुरू किए गए 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी राम जी) की वित्तपोषण संरचना के संबंध में कई राज्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का संज्ञान लिया है;
(ख) क्या उक्त योजना को राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करने से पहले इसका कोई पायलट अध्ययन या पायलट कार्यान्वयन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे;
(ग) संशोधित वित्तपोषण पैटर्न और 'मांग-आधारित' मॉडल से 'आवंटन-आधारित' मॉडल में बदलाव से उत्पन्न होने वाले मुद्दे क्या हैं, जिसमें प्रभावी रोजगार दिवसों पर प्रभाव, राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ और समय पर मजदूरी भुगतान में आने वाली बाधाएं शामिल हैं; और
(घ) उक्त मुद्दों के समाधान के लिए और वित्तपोषण संरचना की समीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि पर्याप्त केंद्रीय सहायता, ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा और राज्यों की राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र--राज्य वित्तीय भागीदारी पैटर्न संबंधी चिंताओं के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि, ऐतिहासिक रूप से, देश की कई

प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण मॉडल पर संचालित होती रही हैं। जैसे:

I. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) में 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी पैटर्न का पालन किया गया था।
II. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) के अंतर्गत 50:50 का वित्तपोषण मॉडल अपनाया गया था।
III. जवाहर रोजगार योजना(जेआरवाई) 80:20 के आधार पर संचालित की गई थी।
IV. एसजीआरवाई, ईएएस और जेजीएसवाई जैसी योजनाएं भी केंद्र-राज्य भागीदारी पैटर्न के अंतर्गत कार्यान्वित की गई थीं, जो सामान्यतः 75:25 के अनुपात में थीं।

वर्तमान में, लगभग सभी क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) 60:40 के भागीदारी मॉडल पर कार्यान्वित की जा रही हैं। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत अपनाया गया 60:40 का पैटर्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यापक ढांचे के अनुरूप है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, 'विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन हेतु गारंटी (ग्रामीण)' के लिए ₹95,692.31 करोड़ के केंद्रीय अंश का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान स्तर पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। राज्य के अनुमानित अंश को शामिल करने पर, कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवर्तन, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आय वृद्धि में महत्वपूर्ण तेजी आने की उम्मीद है।यह मॉडल राज्यों को ग्रामीण विकास में सक्रिय भागीदार बनाकर 'सहकारी संघवाद' को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर) के लिए विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं, जहाँ 90:10 का केंद्र-राज्य भागीदारी पैटर्न लागू होता है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या अन्य असाधारण परिस्थितियों की स्थिति में, राज्य सरकारें केंद्र को विशेष परिचालन छूट की सिफारिश कर सकती हैं। केंद्र सरकार ऐसी स्थितियों में अनुमत कार्यों के विस्तार, दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं में ढील और रोजगार प्रावधानों में अस्थायी वृद्धि की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है। इस प्रकार, यह ढांचा बढ़ती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी, अनुकूल और संवेदनशील है।

वित्तपोषण पैटर्न को समग्र रूप से, राजकोषीय उत्तरदायित्व, राज्यों की भागीदारी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले बीस वर्षों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) ने ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी-रोजगार प्रदान करने और मजदूरी आय सुनिश्चित करने में योगदान दिया है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा कार्यकलापों के व्यापक कवरेज और प्रमुख सरकारी योजनाओं के संतृप्ति-उन्मुख कार्यान्वयन द्वारा संचालित ग्रामीण परिदृश्य में साक्षी महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को देखते हुए, इसे और अधिक सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया था। इसी प्रकार, ग्रामीण संपर्कता, ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच बेहतर हुई हैं, कार्यबल में विविधता आई है, और आकांक्षाएं बेहतर आय, विकास-उन्मुख बुनियादी ढांचे, स्थायी आजीविका और अधिक जलवायु अनुकूलता की ओर स्थानांतरित हुई हैं।

विगत वर्षों में, मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रशासनिक और तकनीकी सुधार भी शुरू किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप भागीदारी, पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

हालांकि, गहन संरचनात्मक समस्याएं बनी रहीं है। कई राज्यों में की गई निगरानी से कई कमियां सामने आयी हैं, जिनमें धरातल पर कार्य न होना, व्यय का वास्तविक प्रगति से मिलान न होना, श्रम-प्रधान कार्यों में मशीनों का उपयोग और डिजिटल उपस्थिति प्रणालियों की बार-बार अनदेखी किया जाना शामिल है। चूंकि महात्मा गांधी नरेगा योजना की समग्र संरचना अपनी सीमाओं तक पहुंच गई थी, इसलिए बढ़ती ग्रामीण वास्तविकताओं के आलोक में इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी।

इस पृष्ठभूमि में और बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, कई पूरक सरकारी योजनाओं को कवर करते हुए एक एकीकृत, 'संपूर्ण-सरकार' ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने हेतु मजबूत अभिसरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यकता महसूस की गई कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण को खंडित प्रावधानों से हटकर एक सुसंगत और भविष्योन्मुख दृष्टिकोण की ओर बढ़ना चाहिए; इसके लिए यह भी अनिवार्य था कि संसाधनों का वितरण वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से किया जाए, ताकि असमानताओं को कम किया जा सके और देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।